ois

## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुमाग-8 /2012/17(120)/XXVII(8)/2011 वेहरावून:: दिनांक:: 28 मई, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), संपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—। व अनुसूची—। (ख) में निम्निलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

### संशोधन

- (क) अनुसूची—। के क्रमांक 76 की वर्तमान प्रविद्धि के बाद निम्नलिखित प्रविद्धि जोड़ दी जायेगी; अर्थात:— "77. शक्कर के उत्पाद जैसे कुलिया, बताशे, खिलीने, इलाइची दाना आदि।"
- (ख) अनुसूची—II(ख) के क्रमांक 109 की वर्तमान प्रविष्टि से शब्द "एवं शक्कर के उत्पाद जैसे कुलिया, बताशे, खिलौने, इलाइची दाना आदि" हटा दिये जायेंगे।

(राधा रत्ड़ी) सचिव।

सं<u>0 493/2012/17(120)/XXVII(8)/2011 तद्</u>विनांक। प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सविवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से, ं ब्री १८१४ में (प्रदीप सिंह रावत) उपसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 493 / 2012/ 17(120)/ XXVII(8)/ 2011 dated 28 May, 2012 for general information.

# Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 493 /2012 / 17 (120) / XXVII (8) /2011 Dehradun:: Dated:: 28 May, 2012

#### Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do

in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. I of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-I and Schedule-II(B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

#### Amendment

- (a) In Schedule- I, after the existing entry at serial no. 76, the following entry shall be added; namely-"77. sugar products namely kulia, batasha, khilona, ilaichidana etc."
- (b) In Schedule- II (B), from the existing entry at serial no. 109, the words "and sugar products namely kulia, batasha, khilona, ilaichidana etc." shall be deleted

(Radha Raturi)

Secretary.